

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263750
SG-DL-E-12062025-263750असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]	दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 92
No. 178]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTHA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 92

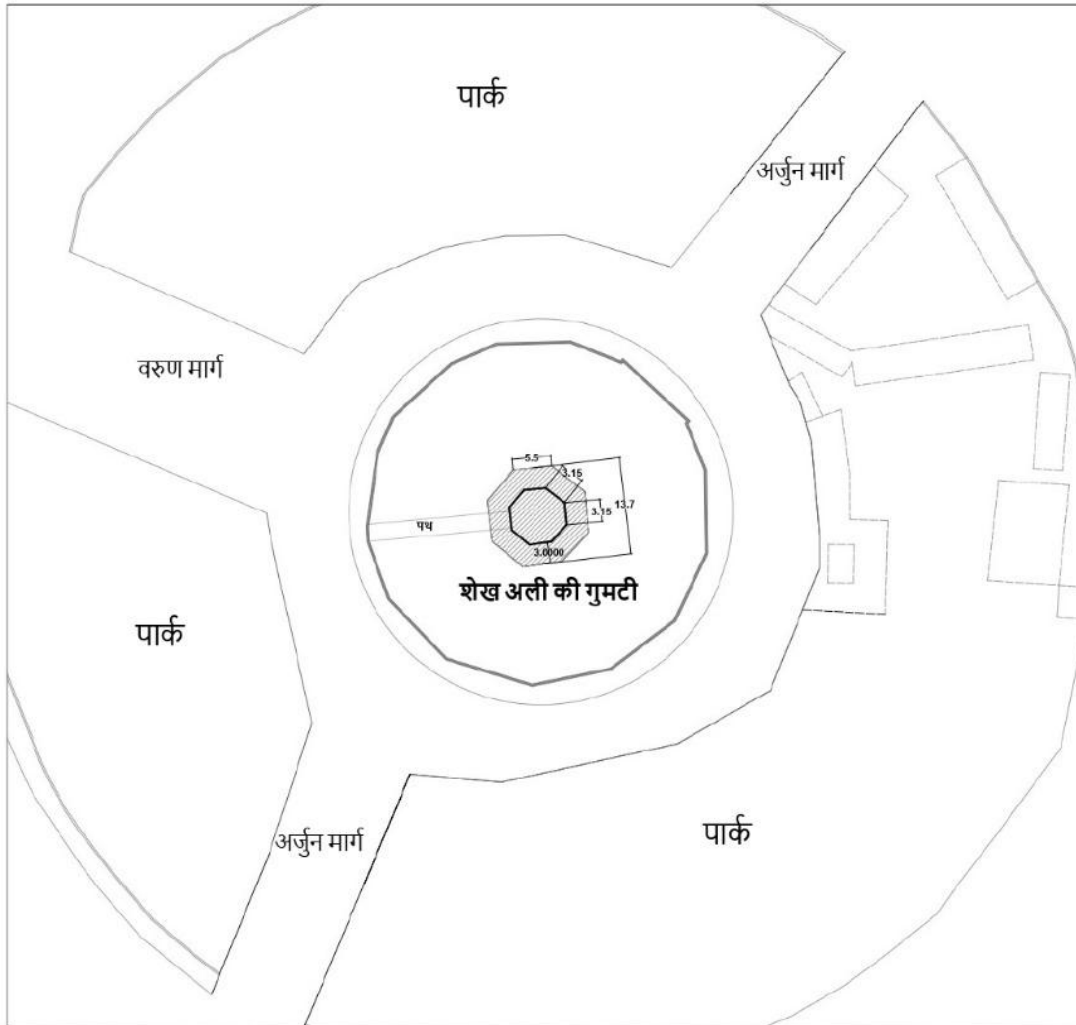
भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIपुरातत्व विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2025

फा.सं. 3(10)/2025/पुरा0/1114—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 12213/2019 जिसका शीर्षक 'राजीव सूरी बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं अन्य' है, के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18/02/2025, 25/03/2025, 08/04/2025, 14/05/2025 और 16/05/2025 के आदेशों के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एतद् द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट **शेख अली की गुमटी स्मारक** तथा इसके साथ संलग्न स्थल योजना को संरक्षित स्मारक घोषित करती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 17 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा स्थल योजना और के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट उपरोक्त स्मारक की संरक्षित सीमाओं से पचास मीटर तक के क्षेत्र को संरक्षित स्मारक के पास या उससे सटे किसी भी निर्माण और खनन गतिविधियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है और इससे आगे सौ मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, जिसमें निर्माण और खनन गतिविधियाँ केवल सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही की जा सकती हैं और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया कोई भी नियम इसके अधीन हैं।

शेख अली की गुमटी, डिफेंस कॉलोनी का साइट प्लान



आख्यान

संरक्षण के लिए प्रस्तावित प्रदर्शित क्षेत्र



सभी माप मीटर में हैं

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षित स्मारक के रूप में शामिल किया जाने वाला क्षेत्र	वर्ग मीटर में शामिल किया जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	दिल्ली	दक्षिण	डिफेंस कॉलोनी	डिफेंस कॉलोनी	शेख अली की गुमटी	स्थल योजना के अनुसार	150 वर्ग मीटर	एल एंड डीओ, भारत सरकार	उत्तर : पार्क पूर्व : पार्क दक्षिण : पार्क पश्चिम : पार्क

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विवेक अग्रवाल, निदेशक (पुरातत्व)

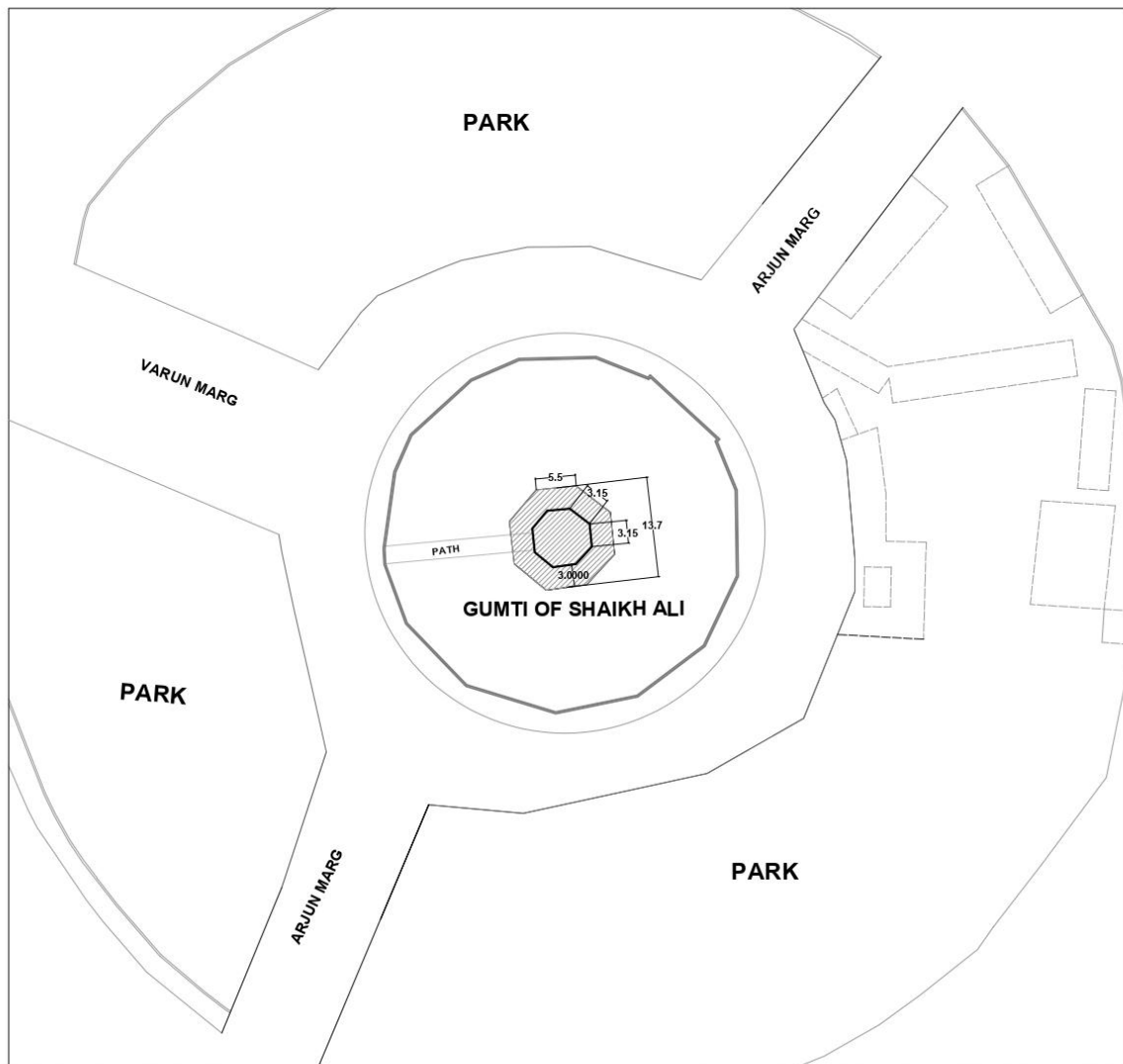
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th June, 2025

F.No..3 (10)/2025/Archy/ 1114—Whereas the Government of the National Capital Territory of Delhi in pursuance to the directions of Hon'ble Supreme Court of India vide Orders dated 18/02/2025, 25/03/2025, 08/04/2025, 14/05/2025 and 16/05/2025 in the matter SLP (C) 12213/2019 titled '*Rajiv Suri Vs Archaeological Survey of India and Ors*' hereby declares the Gumti of Shaikh Ali monument specified in the Schedule and Site Plan annexed hereto, to be a protected monument in exercise of the powers conferred by the Section 4 of The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005)

Further, in exercise of the powers conferred by the Section 17 of The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005), the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby declares an area upto fifty meters from the protected limits of the aforesaid monument specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto as prohibited area for any construction and mining activities near or adjoining protected monument and further beyond it up to one hundred meters as regulated area in which construction and mining activities can be undertaken only after getting permission of the Government and further subject to any Rules made under this Act.

SITE PLAN OF GUMTI OF SHAIKH ALI, DEFENCE COLONY



LEGEND

MONUMENT PROPOSED FOR PROTECTION
ALL MEASUREMENTS ARE IN METERS



SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil	Locality	Name of the Monument	Area to be included as protected Monument	Area to be include Square meter	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Delhi	South	Defence Colony	Defence Colony	GUMTI OF SHAIKH ALI	As per Site Plan	150 Sq. Meter	L&DO, Govt. of India	North: Park East: Park South : Park West: Park

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VIVEK AGARWAL, Director (Archaeology)